

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

भारतीय संविधान ने अपने अनुच्छेद 324 से 329 के तहत सरकार को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन के लिए प्रावधान बनाने हेतु अधिकार दिया है। इस शक्ति के आधार पर, भारत सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कुछ कार्य किए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950

देश में पहली बार चुनावों को विनियमित करने के प्रयास में, सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के साथ आई।

अधिनियम में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन।
- लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
- ऐसे चुनावों के लिए मतदाताओं की योग्यता।
- मतदाता सूची तैयार करना।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- अधिनियम में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सीटें भरने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है।
- परिसीमन आयोग प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित करेगा।
- चुनाव आयोग मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करेगा।
- भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को बदलने की शक्ति है।
- चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद एक जिला-स्तरीय चुनाव आयुक्त को नामित करेगा।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। किसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा और उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या हो सकता है कि वह अयोग्य मन का हो और मतदान से वंचित हो।
- केवल केन्द्र सरकार भारत के चुनाव आयोग से परामर्श के बाद अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन करती है और किसी भी सिविल कोर्ट के तहत न्यायिक जांच के लिए ऐसा कोई संशोधन उपलब्ध नहीं होगा।



लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को भारत की प्रांतीय सरकार द्वारा पहले आम चुनावों से पहले चुनाव प्रक्रिया की जांच करने के लिए लागू किया जाता है। अधिनियम निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- चुनावों का वास्तविक आचरण।
- संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की अयोग्यता के लिए योग्यता और आधार।
- चुनावों से संबंधित भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध।
- चुनावों से संबंधित विवाद का निवारण।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- केवल एक योग्य मतदाता ही लोक सभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल उसी श्रेणी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं।
- निर्वाचक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की परवाह किए बिना किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, जहाँ मतदाता उपस्थित होता है, जिसके लिए वह मतदान करने के योग्य है।
- यदि कोई व्यक्ति दुश्मनी को बढ़ावा देने, वर्गों के बीच घृणा करने, रिश्वत देने, चुनावों को प्रभावित करने, बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ अन्य जघन्य अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, या धार्मिक असहमति का प्रसार करने, अस्पृश्यता, आयात-निर्यात निषिद्ध माल, किसी भी रूप में अवैध दवाओं और अन्य रसायनों बेचने या उपभोग करने या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 2 वर्ष की कैद हो सकती है या उसकी कैद से रिहाई के बाद उसे चुनाव लड़ने के लिए छह साल हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- यदि उसे भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है या संबंधित सरकारी अनुबंधों के लिए बाहर रखा जाता है, तो भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- चुनावी खर्चों की घोषणा एक विफलता है जो उम्मीदवार की अयोग्यता को बढ़ावा देगी।
- प्रत्येक राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना चाहिए जिसका निर्णय इस बारे में अंतिम होगा।
- राजनीतिक दल के नाम या पते में किसी भी तरह के परिवर्तन के मामले में, पार्टी को चुनाव आयोग को जल्द से जल्द सूचित करना चाहिए।
- एक राजनीतिक दल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को छोड़कर भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति या कंपनी से दान ले सकता है। विदेशी योगदान की अनुमति नहीं है।
- प्रत्येक राजनीतिक दल को किसी व्यक्ति या कंपनी से प्राप्त 20,000 रुपये से अधिक के दान की सूचना अवश्य देनी चाहिए।



- यदि किसी पार्टी को चार से अधिक राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए न्यूनतम 6 प्रतिशत वैध मत मिलते हैं और कम से कम तीन राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2 प्रतिशत सीटें जीतती है तो वे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।
- यदि किसी राजनीतिक दल को राज्य विधानसभा चुनावों में न्यूनतम 6 प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं और राज्य विधानसभा की कुल सीटों की कम से कम 3 प्रतिशत सीटें जीतती है, तो यह राज्य की राजनीतिक पार्टी होगी।
- उम्मीदवार को अपनी शपथ लेने के दिन से 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा अवश्य करनी चाहिए।
- चुनावों से संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय में भरी जाएंगी और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय को याचिका को भरने के छह महीने के भीतर समाप्त करना होगा। ऐसे मामले में निर्णय के संदर्भ चुनाव आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में 30 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- चुनाव आयोग के पास किसी व्यक्ति या किसी भी साक्ष्य को बुलाने और लागू करने के लिए सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं। यह इसकी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है।
- चुनाव संबंधी कार्यों के लिए, स्थानीय अधिकारियों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कंपनियों और राज्य या केंद्र सरकारों के तहत अन्य संस्थानों के लोगों को चुनाव आयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।
- उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा राशि के रूप में 25000 रुपये जमा करने चाहिए, और अन्य सभी चुनावों में 12500 रुपये जमा करने चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुरक्षा निक्षेपण में 50 प्रतिशत की रियायत प्राप्त होती है।

अधिनियम के तहत परिभाषित चुनावों से संबंधित विभिन्न अपराध

- दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना।
- बूथ कैप्चरिंग और बैलट पेपर को हटाना।
- आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन और किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करना।
- परिणाम से पहले दो दिन के भीतर शराब बेचना।
- मतदान से पहले 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक बैठक बुलाना और गड़बड़ी पैदा करना।

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966

- इसने चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिनके आदेश सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चुनावी विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जाते हैं।



जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988

- लोग (संशोधन) अधिनियम, 1988 का प्रतिनिधित्व इसने बूथ कैचरिंग और चुनाव मतदान मशीनों के कारण मतदान स्थगित करने का प्रावधान किया।

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002

- जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सूचना से संबंधित नया खंड 33 ए 1951 के अधिनियम में डाला गया था।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2017

- इस विधेयक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने की मांग की गई है, ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 में एक उप-धारा जोड़कर एन.आर.आई द्वारा प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जा सके और लिंग-तटस्थ अधिनियम का प्रावधान किया जा सके जैसे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20A में 'पत्नी' शब्द के स्थान पर 'स्पाउज' शब्द को लाना।
- संशोधन एन.आर.आई द्वारा मतदान के अधिकार हेतु मांग को पूरा करेगा।



EXAM PREP

